**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
**राजस्व प्रा0 पत्र सं0** : 252/2019 (141/2017)
**GCMS NO.** : **2017/00011**

**–:: वादी ::–** **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. भोमा पुत्र गीगा
जाति–बावरी निवासी– आगेवा
तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. देवाराम पुत्र लाबूराम
2. रेशमी पुत्री लाबूराम
3. पाबू पुत्र गीगा
जातियान–बावरी, निवासीगण– आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली।
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।
5. पटवारी, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली।

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजूः 24/09/2019**

**उपस्थितः–**
1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, वादी।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 31/07/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–आगेवा, पटवार हल्का–आगेवा, भू.अ.नि.क्षे.–आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 190 के खसरा नम्बर 383 रकबा 00–17 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 387 रकबा 04–17 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 05–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 की सामलाती है तथा उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 190 खसरा नम्बर 383, 387, 399 सरहद मौजा–आगेवा, तहसील–जैतारण रकबा 11–06 बीघा में वादी का वास्तविक व भौतिक मौके पर 1/3 हिस्सा कायम है तथा रेकर्ड के अनुसार भी वादी का 1/3 हिस्सा कायम है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 काबिज होकर काश्त करते है। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 आये दिन वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर दखल करते रहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 वादी की जमीन पर कब्जा करने व वादी की जमीन को बेचने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

उतारू है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 वादी को वादी के हिस्से में दखलंदाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 ने दिनांक 27/06/2017 को वादी को ऐलानिया धमकी दी है कि वे वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगें व बैचान कर देंगे जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 से बात की लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 नहीं माने तथा ऐलानिया धमकी देते जा रहे है, कि तुम जो चाहो वो कर लेना तुम व कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए वादी की तरफ से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। उक्त जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर अलग–अलग खाता खोले जाकर मौके पर नेकमबंदी की जाकर मुड्डे रोपे जावें ताकि वादी द्वारा अपनी जमीन में खाद बीज डालकर जमीन को उपजाऊ बना सके तथा अपनी कृषि भूमि पर तरीके से खेती कर सके। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी व पटवारी सरकारी सेवक है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से न्यायालय की पूर्व अनुमति से वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 ने वादी को धमकी दी कि तुम्हारा जमीन में कोई नाम नहीं है तथा क्या मांगते हो? तब वादी को दावा करने की नौबत उत्पन्न हुई है। बिनाय वाद दिनांक 27/06/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 ने उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 190 खसरा नम्बर 383, 387, 399 सरहद मौजा–आगेवा, तहसील–जैतारण पर वादी का कोई हक व अधिकार नहीं होने की धमकी देने से गांव आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में उत्पन्न हुआ जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार व हक अख्तियार व अंदर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पी डब्लयु–1 पेश किया, जा शा.मि. है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा आगेवा में कृषि भूमि 383, 387, 399 रकबा 1.8292 हैक्टेयर सम्वत् 2077–2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादी [illegible] 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि [illegible] रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर [illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 399 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/46 दिनांक 07.01.2019, पत्रांक/कोर्ट/2021/133 दिनांक 22.06.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू०अ०/22/3762 दिनांक 07.06.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा०मि० की गई। न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2022/321 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा तहसीलदार, जैतारण को पुनः बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा नवीनतम जमाबन्दी के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में सरकारी पैरोकार ने संशोधित प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा०मि० की गई।

अंतिम बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी की माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया गया। भू-अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 383 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

**-:: आदेश::-**

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 383 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वादी भोमाराम के कायम मुकाम जवरीलाल, धरमाराम, मोतीलाल, दरियाव, कमली, सरोज पि० भोमाराम सुन्दरी पत्नी भोमाराम कौम बावरी [illegible] खातेदार | 383 | 0.0458 | बा. दो. | 0.2799 |
| | | 387 | 0.2617 | बा. दो. | |
| | | 399 | 0.3022 | बा. अ. | |
| 2. | देवाराम पुत्र लाबूराम [illegible] स्वामी फौत कायम मुकाम नरेन्द्र, [illegible] | 383/1 | 0.0458 | बा. दो. | 0.2799 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:00 IST
Reason: SelfAttested

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | महेन्द्र, चेतन, माता रेशमी 1/2 कौम बावरी सा. देह खातेदार | 387/1 | 0.2617 | बा. दो. | |
| | | 399/1 | 0.3022 | बा. अ. | |
| 3. | पाबुराम पुत्र गीगाराम फौत के कायम मुकाम महावीर, राहुल, गिरधारी, पप्पूदेवी, इन्द्रा पि० पाबूराम गटूडी पत्नी पाबुराम महेन्द्र, पूजा पि० दुर्गाराम पपली पत्नी दुर्गाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार | 383/2 | 0.0460 | बा. दो. | 0.2802 |
| | | 387/2 | 0.2617 | बा. दो. | |
| | | 399/2 | 0.3021 | बा. अ. | |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:00 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण
**बईजलास** :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

1. भोमा पुत्र गीगा
जाति-बावरी निवासी- आगेवा
तहसील जैतारण जिला पाली।

1. देवाराम पुत्र लाबूराम
2. रेशमी पुत्री लाबूराम
3. पाबू पुत्र गीगा
जातियान-बावरी, निवासीगण-आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली।
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।
5. पटवारी, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली।

मु०न० ःरा०वा०स०ः 252/2019 (141/2017)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........-........ व हाजरी श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त सामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 383 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैंः-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वादी भोमाराम के कायम मुकाम जवरीलाल, धरमाराम, मोतीलाल, दरियाव, कमली, सरोज पि0 भोमाराम सुन्दरी पत्नी भोमाराम कौम बावरी सा.देह खातेदार | 383 | 0.0458 | बा. दो. | 0.2799 |
| | | 387 | 0.2617 | बा. दो. | |
| | | 399 | 0.3022 | बा. अ. | |
| 2. | देवाराम पुत्र लाबूराम 1/2 रेशमी फौत के कायम मुकाम नरेन्द्र, गणपत, मोहन, महेन्द्र, चेतन, माता रेशमी 1/2 कौम बावरी सा. देह खातेदार | 383/1 | 0.0458 | बा. दो. | 0.2799 |
| | | 387/1 | 0.2617 | बा. दो. | |
| | | 399/1 | 0.3022 | बा. अ. | |
| 3. | पाबुराम पुत्र गीगाराम फौत के कायम मुकाम महावीर, राहुल, गिरधारी, ... | 383/2 | 0.0460 | बा. दो. | 0.2802 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | इन्द्रा पि0 पाबूराम गट्टूडी पत्नी पाबुराम महेन्द्र, पूजा पि0 दुर्गाराम पपली पत्नी दुर्गाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार | 387/2 | 0.2617 | बा. दो. | |
| | | 399/2 | 0.3021 | बा. अ. | |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदर्मे मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/07/2023 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्दायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | स्टाम्प अर्जी | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 2.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | 0.00 | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 4.00 | फीस कमीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | मुत्फरिक | 0.00 |
| मिजानः– | 9.00 | मिजानः– | 0.00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:00 IST
Reason: SelfAttested